



कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

नवीन मुख्यालय भवन,, नगर पालिक निगम, गांधी चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)
फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395; ई-मेल :- dc_rmc@rediffmail.com

क्रमांक : 67/15वें वि.आ./नपानि/24

रायपुर, दिनांक : 16/02/2024

द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से सिफाफा पद्धति से सीलबन्द निविदायें तथा एफ.डी.आर. आमंत्रित की जाती है। इस हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 26.02.2024 को शाम 5:30 बजे तक निर्धारित राशि जमा कर कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 04.03.2024 को शाम 05:30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से संबंधित दस्तावेज सहित मुख्यालय नगर निगम कार्यालय में कक्ष क्र. 407 में जमा किया जाना है। प्राप्त समस्त निविदायें दिनांक 05.03.2024 को उपस्थित निविदाकार/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित अवधि में यदि अवकाश होता है तो उल्लेखनीय कार्यवाही अगले कार्य दिवस पर सम्पन्न की जावेगी।

कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कार्य का नाम	आगणित राशि रू.	अमानती राशि रू.	निविदा प्रपत्र	श्रेणी	कार्यावधि	निविदा प्रपत्र
1.	15वें वित्त आयोग एवं योजना शाखा हेतु 02 कुशल श्रमिक कलेक्टर दर पर उपलब्ध कराने बाबत।	3,96,720.00	4000.00	1000.00	पंजीकृत ठेकेदार	12 माह	ब

नियम शर्त :-

1. ठेकेदार पंजीयन जीवित कॉपी, F.D.R राशि 4000/- (आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर के नाम से)
2. क्लियरेंस प्रमाण पत्र (अंतिम 03 वित्तीय वर्ष), पेन कार्ड, आधार कार्ड, G.S.T. (अंतिम 03 माह) कॉपी, E.P.F. एवं E.S.I.C. पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक सॉल्वेंसी (1 लाख), आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
3. 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापन सहित प्रस्तुत करना होगा।
4. ठेकेदार/सप्लायर्स के द्वारा अंतिम भुगतान से पूर्व GST विभाग से बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र (GST Return of last 3 Months) अथवा पूर्ण देय कर जमा किए जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
5. ठेका कार्य सिर्फ जीवित GST पंजीयन धारक को प्रदाय किया जावेगा अन्यथा नगर निगम रायपुर द्वारा ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम, रायपुर को होगा।
7. निविदा संबंधी प्रपत्र व अन्य शर्तें एवं जानकारिया कार्यालय अवधि/दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
8. समस्त दस्तावेज का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

कार्यपालन अभियंता,
नगर पालिक निगम
रायपुर छ.ग.